कार्यालय जिलाधिकारी,हमीरपुर

संख्याः 887 /सी.आर.ए.–तेरह–दैवीआपदा–कम्बल–अल्पकालीन निविदा सूचना(2015–16)दिनांकः 9 / 11 /2015

अल्प कालीन निविदा

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आलोच्य वर्ष 2015–16 में शासनादेश संख्या–1092/1–10–2014–12(34)/03टी0सी0–1, दिनांक–04 नवम्बर, 2015 से अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर से प्रभावित गृहविहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियो के बचाव हेतु शासन द्वारा कम्बल क्रय किये जाने हेतु धनावंटन उपलब्ध कराया गया है।

तत्क्रम मे उक्त प्रयोजनार्थ इस कार्यालय द्वारा लगभग 4000 कम्बल (जिसकी संख्या धनावंटन के सापेक्ष कम या ज्यादा भी हो सकती है) क्रय किये जाने है। उक्त कम्बल क्रय किये जाने हेतु दिनांक–21 नवम्बर, 2015 दिन शनिवार को अपरान्ह 1:00 बजे तक तक सील बन्द निविदायें अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), हमीरपुर कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं। निविदा उसी दिन अपरान्ह 2:00 बजे खोली जायेगी। न्यूनतम दरें वाली निविदा देने वाली फर्म/संस्था को पाँच दिन के अंदर कंम्बलों की आपूर्ति निर्दिष्ट स्थानों पर पहुँचाकर करनी होगी। निविदा के सम्बन्ध मे शर्तें निम्न प्रकार हैं:–

(अ)–निविदा के साथ कम्बल का नमूना भी सील बन्द करके प्रस्तुत करना होगा।

(ब)–आपूर्ति किये जाने वाले कम्बल की लम्बाई कम से कम 235 सेमी, चौड़ाई कम से कम 140 सेमी, तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिये। इन कम्बलों में कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होनी चाहिये। पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिये।

(स)–कम्बल की कीमत ₹ 500–00 (पाँच सौ रुपये मात्र) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(द)–आपूर्तित संस्था/फर्म को इस आशय का टैग लगाना होगा जिस पर सम्बन्धित संस्था का नाम, कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है जो बिक्री योग्य नहीं है।

(य)–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–3/2015/618/18–2–2015–12(एस0पी0)/2010 दिनांक–17 अगस्त, 2015 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

(र)–कम्बलों की आपूर्ति जनपद की समस्त तहसील मुख्यालयों पर स्वीकृत संस्था/फर्म द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत करना अनिवार्य है। जिसका समस्त व्यय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में कोई भी जानकारी आवश्यकता हो तो किसी भी कार्यालय दिवस पर आकर सम्बन्धित अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।

(सन्ध्या तिवारी)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–मा0 सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ।
2–जिलाधिकारी, जनपद–महोबा, चित्रकूट, बाँदा, झाँसी, जालौन, ललितपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, इलाहाबाद।
3–समस्त तहसीलदार/उपजिलाधिकारी जनपद–हमीरपुर को नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु एवं व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
4–समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद हमीरपुर।
5–सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग क्रेन्द्र, हमीरपुर।
6–श्री गांधी आश्रम हमीरपुर/मौदहा/राठ (द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार)।
7–प्रबन्धक यूपिका शोरूम/प्रबन्धक यू0पी0 हैण्डलूम हमीरपुर।
8–जिला सूचना अधिकारी हमीरपुर को 13 अतिरिक्त प्रतियों के साथ इस आशय से कि सभी समाचार पत्रों में उक्त पत्र का निःशुल्क प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।
9–प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
10–नाजिर सदर कलेक्ट्रेट हमीरपुर को नोटिस बोर्ड में चस्पा कराने हेतु।

(सन्ध्या तिवारी)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर।